न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर लालसोट जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी	:—	मनमोहन मीना, आर.ए.एस. अति0 जिला कलक्टर, लालसोट
मुकदमा नंबर	:—	जीसीएमएस नंबर 2023/96 मैन्युअल नंबर 22/2023
रजु दिनांकः	:—	27.09.2023

1. छोटू पुत्र मूल्या जाति माली निवासी वार्ड नं0 9 कस्बा लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा राज.

(निगरानीकार)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लालसोट जिला दौसा
2. नगर पालिका मण्डल लालसोट जरिये अधिशाषी अधिकारी महोदय, नगर पालिका लालसोट जिला दौसा राज0
3. रामहेती देवी पत्नी जगदीश माली जाति माली निवासी हालवासी डिगो रोड, कस्बा लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा

(गैर निगरानीकार)

उपस्थितः— 01. निगरानीकार की ओर से : श्री लेखराज शर्मा एडवोकेट
02. गैर निगरानीकार सं0 3 की ओर से : श्री रमेश चंद सैनी एडवोकेट

निर्णय दिनांकः 25/3/26

राजस्व निगरानी विरूद्ध अधीनस्थ नगर पालिका मण्डल लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा द्वारा जारी आवंटन विक्रय पत्र (पट्टा) दिनांक 08.03.2002 आवंटन/विक्रय संख्या 439 को निरस्त करवाने बाबत

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकार की ओर से एक निगरानी विरूद्ध अधीनस्थ नगर पालिका मण्डल लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा द्वारा जारी आवंटन विक्रय पत्र (पट्टा) दिनांक 08.03.2002 आवंटन/विक्रय संख्या 439 को निरस्त करवाने बाबत इस आशय की पेश की गई है कि निगरानीकार की कब्जेशुदा आधिपत्यशुदा एक भूखण्ड आराजी ख0 नं0 3820/367 वाकै कस्बा लालसोट वाली में स्थित है। जिसकी कुल माप 50X55 वाकै कस्बा लालसोट में उक्त भूमि पर निगरानीकार के अलावा अन्य लोगो के भी आवासीय भूखण्ड स्थित है। निगरानीकार का एक आवासीय भूखण्ड उक्त पट्टा संख्या 439 के पूर्व दिशा में स्थित है। जिस पर वह कई वर्षो बजमाने बुजुर्गान से ही काबिज है तथा निरंतर व निर्बाध रूप से उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। गैर निगरानीकार सं0 3 व उसके पति ने गुपचुप में साजिशवश अनुचित प्रकार से उक्त निगरानीकार के हक व आधिपत्य

अति0 जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)

वाले भूखण्ड सं0 439 का तथ्य छिपाकर गैर निगरानीकार सं0 2 से सांठगांठ कर प्रश्नगत पट्टा गैर निगरानीकार सं0 3 के नाम नुमाईशी तौर पर जारी करवा लिया।

निगरानीकार ने आगे अभिवचन किए है कि प्रश्नगत पट्टा जारी करने से पूर्व न तो गैर निगरानीकार सं0 2 द्वारा निगरानीकार को किसी भी प्रकार से सूचना व सुनवाई का अवसर दिया गया और न ही मौका निरीक्षण किया गया । उक्त प्रश्नगत भूखण्ड पर जारी आवासीय पट्टे पर गैर निगरानीकार सं0 3 का किसी प्रकार का कोई हक आधिपत्य कभी नही रहा है। गैर निगरानी सं0 2 द्वारा प्रश्नगत पट्टा बिना प्रोसीडिंग के जारी किया गया है जबकि कानूनन आबादी भूमि के आवासीय भू खण्ड पर पट्टा जारी करने के समय पट्टा पत्रावली पर नियमित रूप से कार्यवाही दर्ज की जानी चाहिए। इस प्रकार निगरानीकार द्वारा प्रश्नगत पट्टा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत, विधि विरूद्ध व कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए जारी किया जाने का कथन करते हुए प्रश्नगत पट्टा निरस्तनीय करार दिया है।

निगरानीकार द्वारा निगरानी के साथ प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र 96 सी0पी0सी0 प्रस्तुत कर गैर निगरानीकार सं0 2 द्वारा गैर निगरानीकार सं0 3 को जारी प्रश्नगत पट्टा भूखण्ड/आवंटन संख्या 439 दिनांक 08.03.2002 निरस्त फरमाने का निवेदन किया।

निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर निगानीकारान की तलवी की गई। प्रश्नगत पट्टे से संबंधित मूल अभिलेख नगर पालिका लालसोट से तलब किया गया। मूल पट्टा पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल मिसल की गई। प्रकरण में दिनांक 17.12.2025 को निगरानीकार की ओर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर डिले कन्डोन किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता निगरानीकार ने निगरानी के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि खसरा नंबर 366, 367 स्थित कस्बा लालसोट में थे जिसमें ख0नं0 367 का धारा 90बी के तहत भू रूपांतरण का आदेश हुआ तथा अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका लालसोट द्वारा ख0नं0 367 में से रामहेती देवी के नाम दिनांक 08.03.2002 को 305.55 वर्ग गज का पट्टा जारी किया गया और पट्टा धारक ख0नं0 366 में काबिज हो गए। वर्तमान अनुमोदित नक्शा शीट में ये पट्टा ख0नं0 367 में नहीं होकर कहीं अन्यत्र है। अधिवक्ता निगरानीकार ने प्रश्नगत पट्टे से संबंधित रिकॉर्ड व मौका भिन्न–भिन्न बताते हुए पट्टाधारक के काबिज स्थान को जांच योग्य करार दिया है एवं प्रश्नगत पट्टा भूखण्ड/आवंटन संख्या 439 दिनांक 08.03.2002 निरस्त फरमाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं. 3 द्वारा जवाब बहस में निवेदन किया गया कि नगर पालिका लालसोट द्वारा जारी पट्टा संख्या 439 दिनांक 08.03.2002 को जारी पट्टा कानूनी प्रावधान के अनुसार जारी किया गया है। दिनांक 18.12.2000 को जरिए इकरारनामा छोटू ने गैर निगरानीकार सं0 3 को विक्रय कर दिया। गैर निगरानीकार सं0 3 आज भी उक्त भूखण्ड पर मकान बनाकर रह रहा है, बाउण्ड्री है तथा आधे भूखण्ड का बेचान कर दिया है। निगरानीकार द्वारा उक्त निगरानी गैर निगरानीकार संख्या 3 को हैरान परेशान करने की नियत से की गई

अति0 जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)

है। इस प्रकार कथन करते हुए अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 3 ने निगरानीकार की निगरानी अस्वीकार कर खारिज फरमाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर गौर फरमाया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मूल पट्टा पत्रावली का भी अवलोकन किया। इसके उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि निगरानीकारान की निगरानी स्वीकार की जाकर प्रकरण नगरपालिका लालसोट को रिमाण्ड किया जाना उचित है अतः निगरानीकार की निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ नगर पालिका लालसोट द्वारा गैर निगरानीकार सं0 03 को जारी पट्टा भूखण्ड आवंटन संख्या 439 दिनांक 08.03.2002 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण नगर पालिका लालसोट को इस आशय से रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में संबंधित पक्षकारान की विधिवत सुनवांई की जाकर संबंधित नियमों के परिप्रेक्ष्य में जांच कर नियमानुसार पुनः पट्टा जारी करने की कार्यवाही करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 25.3.24 को सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(मनमोहन मीना आरएएस)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
लालसोट,दौसा